

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 80/2023

वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.



हनुमान पुत्र रूपराम जाति मेघवाल निवासी बोलावांली, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

वादी

**बनाम**

1. जगंतार पुत्र रूपराम जाति मेघवाल निवासी बोलावांली, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
2. गुडडी देवी पुत्री रूपराम जाति मेघवाल निवासी बोलावांली, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
3. गोमती देवी पुत्री रूपराम जाति मेघवाल निवासी बोलावांली, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
4. पेमाराम पुत्र पदमाराम जाति मेघवाल निवासी बोलावांली, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
5. महावीर प्रसाद पुत्र बृजलाल जाति मेघवाल निवासी बोलावांली, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
6. हंसराज पुत्र बृजलाल जाति मेघवाल निवासी बोलावांली, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
7. कमला देवी पत्नी बृजलाल जाति मेघवाल निवासी बोलावांली, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
8. सुभाष पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी बोलावांली, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
9. सुनीता पुत्री रामकुमार जाति मेघवाल निवासी बोलावांली, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
10. लक्ष्मी देवी पत्नी रामकुमार जाति मेघवाल निवासी बोलावांली, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
11. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
12. बलराम पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी बोलावाली तहसील संगरिया।
13. ओमप्रकाश पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी बोलावाली तहसील संगरिया।
14. जगदीश सुडा पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी बोलावाली तहसील संगरिया।
15. सुलतानराम पुत्र पेमाराम जाति मेघवाल निवासी बोलावाली तहसील संगरिया।
16. फूसाराम पुत्र पेमाराम जाति मेघवाल निवासी बोलावाली तहसील संगरिया।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 29.01.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नरेश मण्डा, वादी मिन जामिन मुदई श्री संजय धारणिया प्रति.सं. 12 ता 16 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एव प्रतिवादी संख्या 12 ता 16 के काउन्टर क्लेम मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 9 एएमपी

1. गुडडी देवी 0.253 है. गोमती देवी 0.253 है. जगंतार उर्फ ताराचन्द 0.506 है. बृजलाल 0.506 है. रामकुमार 0.506 है. पुत्र/पुत्री रूपराम जाति मेघवाल निवासी बोलावाली

प.न.	मु.न.	किला नं.
158/159	44	21,22,
157/160	50	13,14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17,18 कुल 2.024 है. नहरी मय गै.मु. खाला

2. हनुमान पुत्र श्री रूपराम जाति मेघवाल निवासी बोलावाली तहसील संगरिया

प.न.	मु.न.	किला नं.
158/160	51	9,10,11,20 कुल 1.012 है. नहरी

महायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

3. बलराम, औमप्रकाश, जगदीश सुडा पि.दानाराम बहिब 2.445 है. सुल्तानराम, फूसाराम पि. पेमाराम बहिब 0.591 है. समस्त जाति मेघवाल निवासी बोलावाली

प.न.	मु.न.	किला नं.
157/159	45	17 ता 24/0.253 है.प्र. 25/1/0.228, 25/2/0.025 है. गै.मु.खाला
156/159	46	16/1/0.228, 16/2/0.025, 25/1/0.228, 25/2/0.025 गै.मु.रास्ता,
156/160	49	5/1/0.228, 5/2/0.025 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता कुल 3.036

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/5169 दिनांक 19.12.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं प्रतिवादी संख्या 12 ता 16 के काउन्टर क्लेम अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग

रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट:- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

नेज......मुब्लिक......बाबत......खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक......को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...25.01.2024...को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया